प्रेषक,

संख्या 395 /18(1)/2007

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कर्नल मोहित नौटियाल,
कर्नल एडजुटेन्ट फॉर कमान्डर
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन,
साउथ हटमेन्टस कश्मीर हाउस,
राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः09 मई, 2008

विषयः–कोटद्वार में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली को 5 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–345/8–एल0 ए0 सी0 –2007 (कैम्प–2007), दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या– 258/16 (1)/73–रा–1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1 –1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम काशीरामपुर पट्टी सुखरों, तहसील कोटद्वार के खतौनी खाता सं0–183 के खसरा सं0–325 मध्ये 05 एकड भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त नई दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, (AWHO) नई दिल्ली को आवासीय कॉलोनी के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकार सम्पत्ति के

-----(2)

प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 150/1/85(24)–स0–6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का वैकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, अथवा ऑर्गेनाईजेशन (संस्था) का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार श्रेणी परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

(7) आवासीय कालोनी के निर्माण के पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी/ विभाग की अनापत्ति (अनापत्तियॉ) प्राप्त कर ली जायेंगी। इसके अतिरिक्त इस भूमि में से भूखण्ड या भवन आवंटन का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी भी संस्था की होगी।

(8) आवंटित भूमि का प्रयोग संस्था द्वारा सेवारत एवं पूर्व सैनिकों के लिये आवासीय भवन के निर्माण हेतु ही किया जायेगा।

(9) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 8 तक की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2– उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

.....(3)

3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– कर्नल मोहित नौटियाल, कर्नल एडजुटेन्ट फॉर कमान्डर, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन,साउथ हटमेन्टस कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली–110011
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

---Page Break---